न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट आर.ए.एस
अपील संख्या 208/2017 एल आर एक्ट
अनवान मूलचन्द बनाम श्रीमती लक्ष्मी वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
30-08-2019	पत्रावली आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 24.4.18 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी एव आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी में निवेदन किया कि अपीलान्ट मूलचन्द का दिनांक 1.1.18 को देहावसान हो जाने के कारण उनके जायज वारीसान को मृतक मूलचन्द के स्थान पर कायम मुकाम के रूप मे पक्षकार संयोजित किये जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 29.8.19 को विड्रोल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना एवं मौजिज व्यक्तियो के समझाईश से बाहमी तौर पर राजीनामा हो चुका है। अपीलान्ट अब अपील को आगे नही चलाना चाहता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 24.4.18 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी एव आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी तथा दिनांक 29.8.19 को पेश विड्रा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी एव आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मृतक अपीलान्ट मूलचन्द के जायज वारिसान संख्या 1/1 लीला देवी पत्नी स्व.मूलचन्द, 1/2 किशनलाल पुत्र स्व.मूलचन्द, 1/3 बलदेव पुत्र स्व. मूलचन्द, 1/4 गोविन्द सिह पुत्र स्व.मूलचन्द, 1/5 गणेश सिह पुत्र स्व.मूलचन्द, 1/6 मोनिका पुत्री स्व. मूलचन्द, को अपीलान्ट स्व.मूलचन्द के स्थान पर कायम मुकाम के रूप मे पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुशार अपील मीमो पर लाल स्याही से अंकन हो। चुकि अब अपीलाट स्वय इस अपील को आगे नही चलाना चाहता है, अतः विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट जरिये (WITHDRAW) विड्रावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया 194-195 3-9-19

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर